Degrees to students of G.S.B.A., Greater Noida

*67. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to answers to Unstarred Question 2824 and 4737 givein in Rajya Sabha on the 17th August, 2001 and 10th May, 2002 respectively and state:

(a) the reasons for delay in awarding 'Degrees'to successful students who have already completed the Masters in Computer Application course in July, 2003 in the 'Approved' institute at Graduate School of Business Administration, Greater Noida;

(b) the details of steps initiated/likely to be taken to honour the commitments already made by Visva Bharati, Shantiniketan to safeguard the interests of successful students of the batch passing out in July, 2003 already enrolled at Graduate School of Business Administation, Greater Noida; and

(c) by when, the final Marks Statement and Degree Certificates are likely to be issued to them?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI); (a) to (c) According to the information furnished by Visva-Bharati, Santiniketan, the award of Degree Certificates to the successful students enrolled at Graduate School of Business Administration (G.S.B.A.), Greater Noida, is held up due to non-receipt of Degree Certificates, duly filled-in and signed by the Director of the School. Visva Bharati has already sent the statement indicating the final marks obtained by the students to G.S.B.A. on 28th September, 2003 for issue of individual mark sheets.

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन् विश्व भारती से संबंधित यह प्रश्न अप्रैल, 2001 में भी उठा था, अगस्त, 2001 में भी उठा था और 2002 में भी उठा था और इसके उत्तर अलग-अलग दिए गए । एक बार यह कहा गया था कि इस विश्वविद्यालय को ऐफिलिएटिड कालेजों में डिग्री देने का अधिकार ही नहीं है। संबद्ध कालेजों को वह यह सुविधा नहीं दे सकता कि एम.सी.ए. वहां पढ़ाया जाए और स्नातकोत्तर डिग्री उनको दी जाए । अब माननीय मंत्री जी का जवाब यह है कि यह जो डिग्री का प्रदान किया जाता है वह जल्दी हो जाएगा । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अब क्या स्थिति है? क्योंकि माननीय मंत्री जी ने 2002 में यह उत्तर दिया था कि विश्वविद्याय अनुदान आयोग, विश्व भारती और तकनीकी शिक्षा परिषद के

द्वारा जो फैसले लिए गए, उनमें इस विश्वविद्यालय को, ऐसे कालेज और संस्थानों को एम.सी.ए. का कोर्स संबद्ध करने का अधिकार नहीं है। अब क्या स्थिति है? क्या विश्व भारती को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह ऐसी संस्थाओं को MCA को कोर्स करने की अनुमति प्रदान करें ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : उनको वह अधिकार न पहले था, न आज है, न आगे दिए जाने की कोई संभावना है। हमने यह रास्ता केवल बच्चों के हितो को ध्यान में रखते हुए निकाला है ताकि उनका जीवन बरबाद न हो और जो गलती विश्व भारती ने की है, उसका ,खामियाजा **ये** छात्र न भुगते । विश्व भारती ने अपने तमाम अधिनियमों का अतिक्रमण किया था और इसके कारण उनके अधिकारो को समाप्त करने का आदेश स**म्मा**ननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जा चुका है। इन फैसलों के आधार पर उन्हें जो करना चाहिए था वह उन्होंने नहीं किया है । हमारे दोनों उत्तर ठीक हैं, पहले का उत्तर भी ठीक है। अब बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय किया है क्योंकि सरकार बच्चों को दंडित कैसे कर सकती है, जब कि गलती विश्व भारती की है।

श्री रमा शंकर कौशिक : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से **मा**नना चाहता हूं कि विश्व भारती में ऐसा क्या दोष हैं जिसके कारण उसको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो बच्चे MCA का कोर्स पास कर चुके हैं और कई महीनों से ऐसे भटक रहे हैं, जिन्होंने उस कोर्स पर बहुत पैसा खर्च किया है, 86,000 रूपए प्रति वर्ष फीस दी है, 36.000 रूपए प्रति वर्ष छात्रावास की फीस दी है, उनको कब तक डिग्री प्रदान करा दी जाएगी ?

डा. मुरल्ली **मनोहर जोशी :** जहां तक इसका सवाल है कि विश्व भारती को यह अधिकार क्यों नहीं है, वह इसलिए कि विश्व भारती जिन कानूनों के अंतर्गत बनी है, उसमें वह अधिकार उसको नहीं है। यह इसी तरह से है कि जैसे कोई विद्यालय फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहा है और वह मेडिकल के लिए किसी को सम्बद्ध कर दें । ऐसा तो हो नहीं सकता । उनके यहां कोई फैकल्टी नहीं है, किसी प्रकार के परिनियम उनके यहां नहीं है। उन्होंने पता नहीं किस आधार पर 40-42 संस्थाओ को देश भर में सम्बद्धता दे दी । बाद में उनको सारी कानूनी बात समझाई गई और हर प्रकार से उनको बताया गया कि आप गैर-कानूनी काम कर रहे हैं । मुझे खुशी है कि वह बात उन्होंने मान ली है ।

जहां तक डिग्री देने का सवाल है, हम तो डिग्री नही देते हैं, डिग्री तो कॉलेज ही देगा । हमने इसके लिए रास्ता साफ कर दिया है । आपको जो आशंका और चिंता है, उसे मैं उस कॉलेज के लोगों तक पहुंचा दूंगा कि आपने इस बारे में चिंता प्रकट की है लेकिन मेरे पास ऐसा कोई औजार नहीं है कि मैं आपको तिथि बता दूं कि कब तक वे डिग्री दे देंगे।

श्री सभापति : वह औजार आप अपने पास रखिए ।

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: Sir, I would like to convey the concern which is very prevalent, as the hon. Minister would know, in the entire Eastern region of the country where management schools are being established. In any case, the spread of management training to the Eastern region of the country—I mean Bihar, West Bengal and further East—is being severaly hampered because of lack of recognition given to established Central Universities to diversify. I agree with the hon. Minister that you cannot ask a Fashion Design University to give a medical degree. I agree. But the fact of matter is that *Visva Bharti* is a Central University, and its scope of activities has to be extended.

There are a large number of institution which have claimed affiliation with *Visva Bharti* for management degrees. There was a difference of opinion between the AICTE and the *Visva Bharti* as a result of which the students are suffering. So, I would urge the hon. Minister, through you, to kindly modify the charter, if necessary, of the University to see that this scope of training is extended.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, there is no difficulty for any institution which complies with the guidelines of the AICTE and UGC to run an institution and give its own diplomas. There is absolutely no bar in it. We are freely granting permission to run these institutions. All over the country, several institutions have come up both in terms of management and computer-engineering. They have been given full permission by the AICTE. And, even in West Bengal, now a number of institutions are coming up. The fact is that they want to circumvent the guidelines of the AICTE by seeking an affiliation to a university. So, it is not as simple as we are saying that it is hampering their expansion. It is, as a matter of fact, they do not want to comply with the quality conditions, with the building design, with the equipment and with the faculty standards which are very seriously implemented through the AICTE. That is the reason. It is not that we are stopping them from going in for further expansion.

MR. CHAIRMAN: That is enough. Next question.